2005:CGHC:3920

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक – 283 / 2001

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत रिट याचिका।

याचिकाकर्ता –

नोहरलाल वर्मा, पिता श्री नाथूराम वर्मा, उम्र लगभग 48 वर्ष, एल.ए.एम.पी.एस. प्रबंधक, वर्तमान में कार्यरत एल.ए.एम.पी.एस., लोहेण्डीगुड़ा, तहसील एवं जिला – जगदलपुर

बनाम

उत्तरवादीगण –

1. **जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, जगदलपुर**, द्वारा – प्रबंधक, जिला बस्तर, वर्तमान में जिला – जगदलपुर
2. **उप पंजीयक, सहकारी समितियाँ, कांकेर**, जिला – कांकेर
3. **संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियाँ, रायपुर**, जिला – रायपुर, छत्तीसगढ़
4. **संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जगदलपुर**, जिला – जगदलपुर, छत्तीसगढ़
5. **राजस्व मंडल, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)**
6. **मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल**, द्वारा इसके अध्यक्ष, भोपाल, मध्य प्रदेश

पकाशन हेतु अनुमोदित

न्यायालय उच्च न्यायिक पीठ, छत्तीसगढ़ : बिलासपुर

(खंडपीठ)

कोरम: माननीय श्री ए.के. पटनायक, मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय श्री वी.के. श्रीवास्तव, न्यायाधीश

2005:CGHC:3920

रिट याचिका क्र. 283/2001

नोहरलाल वर्मा

बनाम

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, जगदलपुर एवं अन्य

उपस्थित : याचिकाकर्ता की ओर से – श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ सुश्री संगीता मिश्रा,

उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से – श्री प्रफुल्ल भरत, अधिवक्ता

आदेश

दिनांक : 4 मई, 2005 को पारित

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश द्वारा माननीय ए.के. पटनायक, मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया:

1. याचिकाकर्ता सहकारी समिति (LAMPS) में प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। याचिकाकर्ता के विरुद्ध गबन एवं वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में एक अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई। जांच में आरोप सिद्ध पाए गए और दिनांक 29.04.1982 को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड के प्रबंधक द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से पृथक कर दिया गया। दिनांक 30.06.1982 को याचिकाकर्ता ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 55(2) के अंतर्गत संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, रायपुर के समक्ष उक्त सेवा से पदच्युत करने के आदेश के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात, दिनांक 08.10.1985 को याचिकाकर्ता ने पुनः धारा 55(2) के अंतर्गत संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जगदलपुर के समक्ष उक्त पदच्युत करने के आदेश को चुनौती देते हुए आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन को संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जगदलपुर द्वारा दिनांक 19.02.1986 को कालवर्जित मानते हुए निरस्त कर दिया गया। इस आदेश से आहत होकर, याचिकाकर्ता ने दिनांक 19.02.1986 के उक्त आदेश के विरुद्ध राजस्व मंडल, ग्वालियर के

समक्ष अपील क्रमांक 80–1/87 प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 14.06.1990 को निरस्त कर दिया गया तथा संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जगदलपुर द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई।

2. इसके पश्चात, याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 30.06.1982 को संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रायपुर जिला के समक्ष प्रस्तुत की गई आवेदन को, दिनांक 22.10.1990 को प्रेषित पत्र के माध्यम से निर्णय हेतु संयुक्त पंजीयक, सहकारी सोसायटी, जगदलपुर जिला को भेजा गया तथा संयुक्त पंजीयक, सहकारी सोसायटी, जगदलपुर जिला द्वारा उक्त याचिकाकर्ता के आवेदन को निर्णय हेतु उप पंजीयक, कांकेर को प्रेषित किया गया। उप पंजीयक, कांकेर द्वारा उक्त याचिकाकर्ता के आवेदन को प्रकरण क्रमांक 5/92 के रूप में पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 18.05.1994 को पारित आदेश द्वारा उक्त सेवा से पदच्युत किए जाने के आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में उक्त आवेदन का अंतिम रूप से निपटारा किया गया। उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, कांकेर द्वारा दिनांक 18.05.1994 को पारित उक्त आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता को सेवा में पुनः स्थापित कर दिया गया। तत्पश्चात, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, जगदलपुर द्वारा उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, कांकेर द्वारा दिनांक 18.05.1994 को पारित आदेश के विरुद्ध संयुक्त पंजीयक, सहकारी सोसायटी, रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, किंतु उक्त अपील दिनांक 07.08.1998 को ख़ारिज कर दी गई। दिनांक 07.08.1998 के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, जगदलपुर द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल के समक्ष एक द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जिसे द्वितीय अपील क्रमांक 560/1999 के रूप में क्रमांकित किया गया और दिनांक 22.01.2001 को पारित निर्णय द्वारा अधिकरण ने उक्त अपील को स्वीकार कर लिया तथा उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, कांकेर द्वारा दिनांक 18.05.1994 को पारित आदेश के साथ–साथ संयुक्त पंजीयक, सहकारी सोसायटी, रायपुर द्वारा दिनांक 07.08.1998 को पारित आदेश को भी खारिज कर दिया। उक्त मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल द्वारा द्वितीय अपील क्रमांक 560/1999 में दिनांक

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

22.01.2001 को पारित निर्णय से क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. दिनांक 07.03.2001 को, इस माननीय न्यायालय द्वारा उत्तरवादीगण को नोटिस जारी करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 22.01.2001 के प्रभाव को स्थगित कर दिया गया। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, जगदलपुर के अधीन एल.ए.एम.पी.एस. (LAMPS) में प्रबंधक के रूप में अपनी सेवा में निरंतर कार्यरत रहे। हालांकि, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, जगदलपुर द्वारा उक्त स्थगन आदेश को निरस्त कराए जाने हेतु एक आवेदन [एम.(डब्ल्यू).पी. क्रमांक 760/2004] प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 16.02.2005 को इस न्यायालय ने अधिकरण तथा न्यायालयों से संबंधित अभिलेख तलब किए थे और इस बीच उक्त अभिलेख पंजी शाखा को प्राप्त हो चुके हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.बी. अग्रवाल ने यह निवेदन किया कि अधिकरण के आक्षेपित निर्णय का अवलोकन करने से यह दर्शित होता है कि अधिकरण ने यह दृष्टिकोण अपनाया है, राजस्व मंडल ग्वालियर द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील क्र. 80–1/87 को ख़ारिज करते हुए तथा संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी जगदलपुर द्वारा पारित आदेश दिनक 19/02/86 की पुष्टि करते हुए जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा सेवा से पृथक किये जाने के विरुद्ध प्रस्तुत आवेदन दिनांक 8/10/85 को ख़ारिज कर दिया गया था , के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा सेवा से पृथक किये जाने के विरुद्ध प्रस्तुत दूसरा आवेदन पूर्व – न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत वर्जित था । जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 में उपबंधित है। श्री अग्रवाल ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह दृष्टिकोण पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 उस आवेदन पर लागू नहीं होती है जो याचिकाकर्ता द्वारा बर्खास्तगी आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हो। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता की दिनांक 08.10.1985 की आवेदन पत्र को सहायक पंजीयक, सहकारी सोसायटी, जगदलपुर जिला द्वारा दिनांक 19.02.1986 को इस आधार

पर अस्वीकार किया गया था कि वह समयावधि से वर्जित थी। अतः याचिकाकर्ता की उक्त आवेदन पत्र पर गुण–दोष के आधार पर विचार नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि याचिकाकर्ता की एक अन्य आवेदन पत्र दिनांक 30.06.1982 को उप पंजीयक, कांकेर द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, जगदलपुर की सहमति से स्वीकार कर पंजीबद्ध किया गया था, अतः अधिनियम की धारा 55(2) में विहित समय–सीमा की बाध्यता इस पर लागू नहीं होती है। श्री अग्रवाल ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय **एस.एम. निलाजकर एवं अन्य बनाम टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, कर्नाटक,** जो **2003 (2) एम.पी.एल.जे. 529** में प्रकाशित है, का उल्लेख किया, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी विवाद को औद्योगिक अधिकरण को संदर्भित किए जाने हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. श्री प्रफुल्ल भरत, अधिवक्ता जो उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत हुए, ने प्रत्युत्तर में यह निवेदन किया कि यह अधिनियम की धारा 55 (2) के उपबंधों से स्पष्ट होता है कि पंजीयक किसी विवाद को तब तक विचारार्थ ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि वह आदेश, जिसे चुनौती दी जा रही हो, की तिथि से 30 दिवस के भीतर उसके समक्ष प्रस्तुत न किया गया हो, और इस प्रकरण में याचिकाकर्ता द्वारा बर्खास्तगी आदेश दिनांक 29.04.1982 के विरुद्ध प्रस्तुत दोनों आवेदन उक्त आदेश की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल ने यह उचित दृष्टिकोण अपनाया कि जब एक बार उक्त बखा स्तगी आदेश को चुनौती देने वाला प्रथम आवेदन याचिकाकर्ता के विरुद्ध राजस्व मंडल, ग्वालियर द्वारा निराकृत कर दिया गया, तब उक्त आदेश के विरुद्ध दूसरा आवेदन "पूर्व – न्याय" (res judicata) के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में विचारणीय नहीं था, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 में उपबंधित है। श्री भरत ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **राघो सिंह बनाम मोहन सिंह एवं अन्य**, (2001) 9 एस.सी.सी. 717, का भी उल्लेख किया, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि अपील निर्धारित समयावधि के पश्चात दायर की जाती है और विलंब की

क्षमा याचना हेतु परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अंतर्गत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो ऐसी अपील को अस्वीकार कर देना चाहिए।

6. अधिनियम की धारा 55 (2) सहित इसके दोनों परन्तु को (Provisos) का उल्लेख अधोलिखित रूप में किया जा रहा है:

"55. सोसाइटी मैं के नियोजन की शर्तों का अवधारण करने की रजिस्ट्रार की शक्ति – (1) x x x x x x x x x

(2): जब किसी सहकारी संस्था और उसके कर्मचारियों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, जिसमें सेवा की शर्तों, कार्य की परिस्थितियों तथा संस्था द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित विवाद सम्मिलित हैं, तो ऐसे विवाद का निराकरण पंजीयक या उसके द्वारा नियुक्त ऐसा अधिकारी जो सहायक पंजीयक से निम् पद श्रेणी का न हो, करेगा, और उसका निर्णय संस्था तथा उसके कर्मचारियों पर बाध्यकारी होगा:

परंतु यह कि, उपर्युक्त पंजीयक अथवा अधिकारी ऐसा कोई विवाद तब तक विचारार्थ स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि वह उस आदेश जिसका आक्षेप किया जाना चाहा गया है, की तिथि से तीस दिवस की अवधि के भीतर उसके समक्ष प्रस्तुत न किया गया हो, जिसे विवादित किया जा रहा हो:

परंतु यह भी कि, पूर्ववर्ती परंतुक के अधीन परिसीमा की अवधि की गणना करते समय उस समय को छोड़ दिया जाएगा जो उक्त आदेश की प्रति प्राप्त करने में आवश्यक रूप से व्यतीत हुआ हो।"

उपर्युक्त उपबंध से यह स्पष्ट है कि एक सहकारी संस्था और उसके कर्मचारियों के बीच उत्पन्न विवाद, जिसमें संस्था द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित विवाद भी सम्मिलित हैं, का निर्णय पंजीयक अथवा उसके द्वारा नियुक्त ऐसा अधिकारी जो सहायक पंजीयक के पद से नीचे का न हो, द्वारा किया जा सकता है। परंतु अधिनियम की धारा 55 की उप–धारा (2) के प्रथम परंतुक से यह स्पष्ट होता है कि पंजीयक या ऐसा अधिकारी तब तक किसी विवाद पर विचार नहीं करेगा जब तक कि वह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवाद उसके समक्ष उस आदेश जिसे आक्षेपित किया जा रहा है की तिथि से तीस दिवस की अवधि के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो।

वर्तमान प्रकरण में, पद से पृथक करने का आदेश दिनांक 29.04.1982 को पारित किया गया था और याचिकाकर्ता द्वारा उक्त पृथक करने के आदेश के विरुद्ध दिनांक 30.06.1982 को संयुक्त पंजीयक, सहकारी सोसायटी, रायपुर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्ता का ऐसा कोई प्रकरण नहीं है कि उसे अधिनियम की धारा 55 की उप–धारा (2) के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत पृथक करने के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु 30.06.1982 तक का समय अनुमन्य था। अतः यह आवेदन 30 दिवस की समयावधि के परे प्रस्तुत किया गया था और पंजीयक अथवा वह अधिकारी, जिसे उक्त आवेदन संदर्भित गया था, स्पष्ट रूप से धारा 55 की उप–धारा (2) के प्रथम परंतुक में निहित निषेध के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवाद पर विचार नहीं कर सकता था। अतः, यह मान भी लिया जाए कि वयवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 में अंतर्निहित पूर्व – न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता, और अपील क्र. 80–1/87 का राजस्व मंडल, ग्वालियर द्वारा निर्णय तथा याचिकाकर्ता द्वारा उसे सेवा से पृथक करने के आदेश के विरुद्ध दिनांक 11.10.1985 को संयुक्त पंजीयक, सहकारी सोसायटी, जगदलपुर के समक्ष प्रस्तुत अन्य आवेदन नवीन विचारण में बाधा नहीं बनते, तब भी याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 30.06.1982 को प्रस्तुत किया गया आवेदन, जो कि दिनांक 29.04.1982 के से पृथक करने के आदेश के विरुद्ध था, अधिनियम की धारा 55 की उप–धारा (2) के परंतुक के अधीन कालवर्जित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. सुप्रीम कोर्ट द्वारा **एस.एम. निलाजकर एवं अन्य बनाम टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, कर्नाटक** (पूर्विक) प्रकरण में दिया गया निर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत किसी विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण मैं निर्देशित करने हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है, और यह अधिनियम की धारा 55 की उप–धारा (2) के अंतर्गत पंजीयक के समक्ष या किसी अधिकारी के पास प्रस्तुत विवाद पर

लागू नहीं होता। यह बात **एस.एम. निलाजकर एवं अन्य बनाम टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, कर्नाटक** (पूर्विक) प्रकरण में दिए गए निर्णय के कंडिका 17 से स्पष्ट होती है, जिसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

> **"17. उत्तरवादी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ताओं द्वारा विवाद को उठाने में हुई देरी के कारण उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को अनुतोष देने से इनकार करना उचित था। हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं। यह सत्य है कि जैसा कि शालीमार वर्क्स लिमिटेड बनाम वर्कमेन (पूर्विक) में अभिनिर्धारित किया गया है, कि मात्र इस आधार पर कि औद्योगिक विवाद अधिनियम विवाद उठाने हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं करता, यह नहीं कहा जा सकता कि विवाद किसी भी समय, किसी भी प्रकार की देरी और उसके कारणों की परवाह किए बिना उठाया जा सकता है। यद्यपि औद्योगिक न्यायाधिकरण को विवाद निर्देशित करने हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है, तथापि यह उचित है कि विवाद उत्पन्न होने के शीघ्र पश्चात् तथा सुलह प्रक्रिया की असफलता के बाद ही उसे निर्देशित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब विवाद सामूहिक रूप से श्रमिकों की सेवा समाप्ति से संबंधित हो। शालीमार वर्क्स लिमिटेड बनाम देयर वर्कमेन (पूर्विक) में कहा गया कि अधिकांश पूर्व कर्मचारियों के पुनर्नियोजन के पश्चात् भी विवाद को चार वर्षों की देरी से उठाना घातक सिद्ध हुआ। नेडुंगाडी बैंक लिमिटेड बनाम के.पी. माधवनकुट्टी एवं अन्य (पूर्विक) में सात वर्षों की देरी घातक मानी गई और श्रमिक किसी भी अनुतोष से वंचित हो गए। रतन चंद्र समंता एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य (पूर्विक) में कहा गया कि यदि कोई आकस्मिक श्रमिक का नियोजक द्वारा छटनी कर जाता है और वह स्वयं ही न्यायिक उपायों से विलंब करता है, तो वह समय व्यतीत होने से न केवल उपाय खो देता है बल्कि अधिकार भी समाप्त हो जाता है। यदि देरी के कारण विवाद के निवारण के लिए आवश्यक सुसंगत साक्ष्य नष्ट हो जाएं या अनुपलब्ध हो जाएं, तो यह देरी निस्संदेह घातक सिद्ध होगी। तथापि, हम नहीं मानते कि वर्तमान प्रकरण में हुई देरी इतनी घातक है कि अपीलकर्ताओं को किसी प्रकार के अनुतोष से वंचित किया जाए। यद्यपि उच्च न्यायालय ने यह राय दी है कि विवाद को न्यायाधिकरण के समक्ष उठाने में 7 से 9 वर्षों की देरी हुई, परंतु हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय का यह तथ्यात्मक निष्कर्ष सही नहीं है। अपीलकर्ताओं की नियुक्ति 1985–86 अथवा 1986–87 में समाप्त की गई थी। डेली रेटेड कैजुअल एम्प्लॉयीज़ अंडर**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>पी एंड टी डिपार्टमेंट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया</u> (पूर्विक) में दिए गए निर्णय के अनुसार विभाग आकस्मिक श्रमिकों को समायोजित करने हेतु एक योजना तैयार कर रहा था और अपीलकर्ताओं का उस योजना के परिणाम की प्रतीक्षा करना न्यायसंगत था। दिनांक 16.01.1990 को उन्हें योजना में समायोजित करने से इंकार कर दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 28.12.1990 को उन्होंने औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की, उसके बाद सुलह प्रक्रिया हुई और फिर विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण–सह–श्रम न्यायालय को निर्देशित किया गया। हम नहीं मानते कि केवल देरी के आधार पर अपीलकर्ताओं को अनुतोष से वंचित किया जाना चाहिए।"

8. श्री अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत इस तर्क के संबंध में कि सेवा से पृथक किये जाने के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विवाद का निपटारा गुण–दोष के आधार पर नहीं किया गया है, हमारा यह मत है कि जब याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 55 की उप–धारा (2) के अंतर्गत सेवा से पृथक के आदेश के संबंध में विवाद उठाने का विकल्प चुना, तो उक्त विवाद को केवल और केवल उक्त धारा 55 की उप–धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार ही स्वीकार किया जा सकता था तथा उसका निर्णय किया जा सकता था। धारा 55 की उप–धारा (2) यह स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि ऐसा विवाद पंजीयक या उस अधिकारी द्वारा, जिसे वह प्रेषित किया गया हो, केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है जब उसे आक्षेपित आदेश की तिथि से 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत किया गया हो। यदि विवाद आक्षेपित आदेश पारित करने के 30 दिवस की अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, तो पंजीयक अथवा ऐसा अधिकारी उसे स्वीकार करने एवं उस पर निर्णय करने का कोई अधिकारक्षेत्र नहीं रखता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उपरोक्त कारणों से, हम यह रिट याचिका खारिज करते हैं और दिनांक 07.03.2001 को पारित अंतरिम आदेश को निरस्त करते हैं।

सही
मुख्य न्यायाधीश

सही
वी. के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Abhishek Banjare, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur